RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शनिवार 09 मार्च 2024 वर्ष 05 अंक 317 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

पवार के पोते रोहित को लगा तगड़ा झटका !

ईडीने कुर्क की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) सुप्रीमो शरद पवार को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शरद पवार के पोते रोहित पवार की स्वामित्व वाली चीनी मिल की 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति ने कुर्क की।

ईडीने किस मामले में की कार्रवाई?

ईडी ने यह कार्रवाई कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MNSB) घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की। ईडी ने एक बयान में बताया कि औरंगाबाद जिले के कन्नड़ गांव में स्थित कन्नड़ सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड (कन्नड़ एसएसके) की कुल 161.30 एकड़ भूमि, संयंत्र, मशीनरी और भवन को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLN) के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है।

कन्नड़ एसएसके का स्वामित्व बारामती एग्रो लिमिटेड के पास है और यह रोहित पवार की कंपनी है। सनद रहे कि कर्जत-जामखेड विधानसभा सीट से 38 वर्षीय विधायक रोहित पवार से ईडी ने जनवरी में बारामती एग्रो, कन्नड़ एसएसके और कुछ अन्य परिसरों की तलाशी के बाद पूछताछ की थी।

11 घंटे तक हुई थी पूछताछ

रोहित पवार जांच एजेंसी के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में 11 घंटे से अधिक समय तक रहे और रात तकरीबन 10 बजे वहां से निकले। ईडी के समन पर रोहित पवार ने कार्यालय में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया था।

पत्नी पर बुरी नजर... पति ने कर दी हत्या

मुंबई : मुंबई पुलिस ने पत्नी पर बुरी नजर रखनेवाले शख्स की हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को तभी गिरफ्तार किया है जब वह छिपकर इलाके में बैठा था। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू किया और महज कुछ ही घंटे मेन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना में जान गांवनेवाले शख्स का नाम भीमसेन देवचंद भालेराव (35) है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शख्स खून से लथपथ पड़ा है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे लेकर अस्पताल में पहुंची। जहां डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामले में हत्या से संबंधित आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी की पहचान पुलिस ने की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

बिना विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में वर्षा गायकवाड़ और कुणाल राउत के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई : कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और पार्टी की युवा शाखा के राज्य इकाई प्रमुख कुणाल राउत पर बिना अनुमति के महानगर में दो विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक, विधायक गायकवाड़ ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जबकि राउत मंत्रालय (राज्य सचिवालय) के सामने महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के आंदोलन का हिस्सा रहे थे। एक अधिकारी ने कहा, ''दोनों विरोध प्रदर्शन बुधवार को हुए। गायकवाड़ पर आजाद मैदान पुलिस थाने में, जबकि राउत के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।'' उन्होंने कहा कि दोनों पर पुलिस आयुक्त द्वारा घोषित आदेशों के उल्लंघन के साथ-साथ गैरकानूनी सभा और अन्य अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता तथा मुंबई पुलिस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं।

कल्याण में 43 लाख का नकली शराब का जखीरा जब्त, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की कार्रवाई

कल्याण: राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर डिवीजन की एक टीम ने गुरुवार सुबह कल्याण के वार्डली रोड पर सुभाष चौक इलाके में एक बंद टेम्पो से 43 लाख रुपये की नकली देशी शराब जब्त की. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उत्पाद शुल्क अधिकारियों को इस शराब की बोतलों पर प्रवरा डिस्टिलरी, प्रवरनगर द्वारा निर्मित रॉकेट ऑरेंज देशी शराब की मुहर मिली है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम साईनाथ नागेश रामगिरवार (27), अमरदीप शांताराम फुलझेले हैं। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के वरिष्ठ सुनील चव्हाण, प्रसाद सुर्वे, अशोक शिंगारे, डॉ. नीलेश सांगाडे के मार्गदर्शन में उल्हासनगर, ठाणे, भिवंडी में आबकारी विभाग की भरारी टीम ने यह कार्रवाई की. आबकारी अधिकारियों को सूचना मिली कि एक ट्रक नकली शराब का जखीरा लेकर कल्याण शहर से गुजर रहा है. गुरुवार सुबह से ही अधिकारियों ने कल्याण के सुभाष चौक पर एक महिला की मूर्ति के पास जाल बिछा दिया था.

नियत समय पर एक ट्रक सुभाष चौक से गुजर रहा था. टीम ने ड्राइवर को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। टीम के जवानों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। अधिकारियों ने ट्रक की तलाशी ली. इसमें 484 पेटी में पैक 48 हजार 400 नकली देशी शराब की सीलबंद बोतलें मिलीं।

28 साल पहले हत्या मामले में गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को उम्रकैद, छोटा राजन बरी

मुंबई : लगभग 28 साल पहले एक व्यवसायी की हत्या के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में सह-आरोपी जेल में बंद गैंगस्टर राजेंद्र निकालजे उर्फ छोटा राजन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के पूर्व सहयोगी लकड़ावाला को हत्या के लिए आईपीसी एवं शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। एफआईआर के अनुसार, 7 अक्तूबर, 1996 को दो अज्ञात लोग मोहम्मद अली रोड पर दुकान के अंदर व्यवसायी सैय्यद फरीद मकबुल हुसैन को गोली मारकर मौके से भाग गए थे। हुसैन को नजदीकी अस्पताल ले

जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।

शुरूआत में हत्या की जांच मुंबई पुलिस ने की थी और लकड़ावाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसके अलावा राजन को एक वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया था। बाद में मामले को सीबीआई के सौंप दिया गया था। लकड़ावाला ने अपना बचाव करते हुए अदालत में कहा था कि यह साबित करने के लिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं है कि उसने ही फरीद की हत्या की थी। उसका कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया, जबकि उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। लकड़ावाला फरार था, उसे 2020 में फिर से गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ भी अन्य मामले लंबित थे।

छोटा राजन मामले में सभी आरोपों से मुक्त

सीबीआई ने दावा किया था कि छोटा राजन हत्या की साजिश में शामिल था। राजन ने अपने बचाव में कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह हत्या से जुड़ा था। अदालत ने उसे मामले में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। हालांकि, छोटा राजन पत्रकार जे डे की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

पनवेल से 61 किलो गांजा जब्त... एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई !

पनवेल: नवी मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल की एक टीम ने मंगलवार आधी रात को 61 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपये है. इस कार्रवाई में पुलिस ने कार समेत गांजा समेत 22 लाख 34 हजार रुपये का माल जब्त किया. पिछले साल से, पुलिस प्रमुख ने नवी मुंबई को नशा मुक्त शहर बनाने का संकल्प छोड़ दिया है, एंटी-नारकोटिक्स सेल के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, नीरज चौधरी और उनकी टीम ने चौबीसों घंटे कार्रवाई शुरू की है। पुलिस अधिकारी चौधरी की टीम को सूचना मिली कि रासनी से एक व्यक्ति गांजा बेचने के लिए पनवेल आ रहा है. इस गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने मुंबई-गोवा हाईवे पर पलास्पे फाटा पर जाल बिछाया. मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे पलासपे फाटा पर एक सफेद रंग की अर्टिगा कार संदिग्ध रूप से आने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली।

संपादकीय / लेख

नकली दवाओं के उत्पादन और प्रसार

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

भारत में नकली दवाओं के उत्पादन और प्रसार का बाजार करीब 35,000 करोड़ रुपए का है। यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने व्यापक स्तर पर नकली दवाएं बनाई जा रही हैं और औसत बीमार आदमी को बेची जा रही हैं! कितनी बीमारियां घनीभूत हो रही हैं और कितनों पर मौत का साया मंडरा रहा है? यह बाजार इतना व्यापक कैसे बना, यह हमारी प्रशासनिक और जांच संस्थाओं पर बड़ा सवाल है। ये नकली दवाएं, जिन्हें औषधि कहना ही गलत और पाप है, किसी गांव में या उपेक्षित कस्बे के किसी कोने में चुपचाप नहीं बनाई जा रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद में धड़ल्ले से बनाई जाती रही हैं। गाजियाबाद में औषधि विभाग, अपराध शाखा और पुलिस के हालिया छापे में 1.10 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। इनके अलावा, कंपनी कितनी दवाइयों का उत्पादन और वितरण कर चुकी होगी, इसका कोई निश्चित आंकड़ा छापा एजेंसियों ने नहीं दिया है। गाजियाबाद से लेकर यह नापाक और जानलेवा धंधा तेलंगाना, महाराष्ट्र तक फैला है। कोई गंभीर सजा नहीं। कोई गंभीर वार नहीं। कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप और खौफ नहीं। आश्चर्य है कि जहां से नकली दवाएं पकड़ी गई हैं, वे मधुमेह, रक्तचाप और गैस सरीखी गंभीर बीमारियों की ब्रांडेड औषधियों की नकली दवाएं थीं। दवा बनाने वाली कंपनी ने ब्रांडेड औषधियों के असली पत्तों, पैकेजिंग और प्रिंटिंग मशीनों का जुगाड़ कहां से किया? अथवा नकली 'बार कोड' कैसे छाप दिए? या फर्जी बैच नंबर कैसे लिख दिए गए? ये बेहद महत्वपूर्ण और नाजुक सवाल हैं। आश्चर्य तब ज्यादा होता है, जब इन फर्जी कंपनियों के प्रतिनिधि डॉक्टरों के पास जाते हैं, उन्हें लुभावनी पेशकश के पैकेज दिए जाते हैं, जाहिर है कि ऐसे डॉक्टर भी नकली दवाएं लिखते होंगे! वे भी अपने पेशे, नैतिक संकल्प और मानवीय जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। अमरीका और यूरोपीय देशों ने भी शिकायतें की हैं कि भारत में 20-25 फीसदी दवाएं नकली बेची जाती हैं। बेशक भारत की आबादी 142 करोड़ से अधिक है।

उतने ही अनुपात में लोग बीमार होते हैं, लिहाजा उतनी ही दवाओं की मांग बनी रहती है। चिंतित पहलू यह भी है कि ऐसे नकलीबाज दवा कारोबारियों को जो कानूनी सजा मिलती रही है, वह अपेक्षाकृत बहुत कम है। अधिकतर मामलों में वे जमानत पर छूट जाते हैं या रसूखदारों की सिफारिशों पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। दरअसल यह परोक्ष रूप से हत्या के मामले हैं। चूंकि यह धंधा ही देश के साथ शत्रुता के समान है, लिहाजा यह देशद्रोह भी है। नई 'न्याय संहिता' में इसका दंड तय किया गया होगा, लिहाजा अब उन धाराओं में इन कारोबारियों को दंडित किया जाना चाहिए। हमने तेलंगाना का जिक्र किया था। तेलंगाना सरकार ने 'मेग लाइफ साइंसेज' द्वारा निर्मित 33 लाख रुपए से ज्यादा की तीन दवाओं की जांच की थी। उनमें औषधि का कोई भी तत्त्व नहीं पाया गया। औषधि नियंत्रण प्रशासन ने खुलासा किया था कि उन नकली दवाओं में केवल चॉक पाउडर और स्टार्च मिलाया गया था। तेलंगाना में पकड़ी गई कंपनी ने कागज पर हिमाचल में मुख्यालय होने का दावा किया था, लेकिन वहां भी ऐसी कोई कंपनी नहीं पाई गई। न जाने ऐसी कितनी कंपनियां देश में 'जहर' बेच रही हैं? बीते सप्ताह उत्तराखंड में भी ऐसे ही नकली दवाओं के रैकेट का पदार्फाश किया गया था। चूंकि ये सभी दवा निमार्ता इनसान की जिंदगी से खेलते रहे हैं, लिहाजा इन्हें भी 'मृत्यु-दंड' दिया जाना चाहिए। हमारा सुझाव अतिशयोक्ति वाला हो सकता है, लेकिन जो लोग मौत के विक्रेता हों, तो उन्हें कैसा दंड दिया जाए और कैसे प्रावधान हैं, चलो, उन्हें अदालत के विशेषाधिकार के अधीन सौंपते हैं। यह हजारों करोड़ का कारोबार देश की प्रख्यात दवा कंपनियों के लिए भी खतरा हैं, क्योंकि उन्हीं के ब्रांड पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalrokthok
#faisalrokthok

बीएमसी ने बिना निर्वाचित नगरसेवकों के 2 साल पूरे किए

मुंबई: बीएमसी प्रशासक शासन के तहत दो साल पूरे कर लेगी। 150 वर्षों के इतिहास में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना किसी नगर निगम की यह सबसे लंबी अवधि रही है। नगर निगम आयुक्त, इकबाल सिंह चहल ने 8 मार्च, 2022 को राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासक के रूप में पदभार संभाला। इस बीच, कार्यकर्ताओं, नागरिक समूहों और पूर्व नगरसेवकों ने तर्क दिया कि नगरसेवकों की अनुपस्थिति के कारण कई नागरिक कार्यों में समन्वय की कमी और देरी हुई है। वार्ड स्तर पर. शहर में 25 प्रशासनिक वार्ड और 227 निर्वाचित नगरसेवक हैं, जो बीएमसी में विभिन्न वैधानिक समितियों का भी हिस्सा हैं। ये समितियाँ बुनियादी

ढांचे के विकास से संबंधित प्रस्तावों और संकल्पों को मंजूरी देने और नई नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रशासक के शासन के तहत, निगम सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों द्वारा चलाया जाता है। हालाँकि, नागरिकों को लगता है कि पानी की आपूर्ति, सड़कों और शौचालयों की मरम्मत और वार्ड स्तर पर अन्य कार्यों जैसे उनके मुद्दों को हल करने के लिए नगरसेवकों की आवश्यकता है।

पूर्व कांग्रेस पार्षद और बीएमसी में विपक्ष के नेता रवि राजा ने कहा, ''स्थानीय नागरिक अभी भी वार्ड अधिकारियों के साथ अपने नागरिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमसे संपर्क करते हैं। हालाँकि, फंड में ढिलाई ने नागरिक प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा कर दिया है। नगरसेवकों की अनुपस्थिति में, कई विकास कार्य लंबे समय तक अप्राप्य रहते हैं, जो पहले कुछ दिनों के भीतर हल हो जाते थे। नागरिक मुद्दे के समाधान पर अनुपस्थित निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रभाव, पूर्व नगरसेवक पर प्रकाश डाला गयाशिवसेना (यूबीटी) के पूर्व नगरसेवक सचिन पडवाल ने कहा, ''नगरसेवक त्वरित समाधान के लिए स्थानीय मुद्दों को प्रकाश में लाने का माध्यम थे। वर्तमान में, प्रशासन के निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए कोई निर्वाचित निकाय नहीं है। प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एक सहज समन्वय हुआ करता था, जो अब गायब है।''

नागपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक... 8500 मुर्गियों को मारा गया

मुंबई : महाराष्ट्र में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। नागपुर में राज्य सरकार के क्षेत्रीय हैचरी केंद्र के एक पोल्ट्री फार्म में पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों मुर्गियां मर रही थीं। कुछ ही दिनों में पोल्ट्री फार्म में 2650 मुर्गियां मर गई। मुर्गियों की मौत का आंकड़ा चौंकाने वाला था, जिसके बाद पशु संरक्षण अधिकारी पोल्ट्री फार्म आए और निरीक्षण किया। साथ ही सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। नागपुर के सेमिनरी हिल्स में स्थित पोल्ट्री फार्म में अचानक इतनी सारी मुर्गियों की मौत क्यों हुई, इसका पता लगाने के लिए नमूने पुणे और भोपाल की प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट सामने आने के बाद बर्ड फ्लू को पुष्टि हुई। अगले दिन पोल्ट्री फार्म में बची हुई मुगियों और उनके अंडों को नष्ट कर दिया गया।

4 मार्च को सैंपल की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में क साबित हो गया कि मुर्गियां वर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लूएंजा से संक्रमित थीं, जिसके बाद संबंधित पोल्ट्री फार्म की 8,500 मुर्गियां मार दी गईं। न सिर्फ मुर्गियां बल्कि हैचरी सेंटर के हजारों अंडे और सैकड़ों किलो चारा भी नष्ट किया गया। नियमानुसार संबंधित पोल्ट्री फार्म के एक किलोमीटर के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र और दस किलोमीटर तक के क्षेत्र को निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) ने वैज्ञानिक तरीके से 8,500 से अधिक मुर्गियों, 16,700 अंडे और 400 किलोग्राम पक्षी चारा को नष्ट करके तेजी से कार्रवाई की। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के सभी पशु चिकित्सा अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं. उन्हें पक्षियों की किसी भी असामान्य मौत की तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। अगले 21 दिनों तक बर्ड फ्लू के प्रसार की निगरानी की जाएगी। हालांकि नागपुर और उसके आसपास के अन्य फामों में एवियन इन्फ्लूएंजा की फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

ज्वेलरी मार्केट पर डीआरआई का छापा

मुंबई : राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने सोने की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीआरआई ने मुंबई के वसोर्वा और झवेरी बाजार में छापेमारी की है। इस दौरान तस्करी के लिए विदेश से भारत लाया गया 14 किलो सोना जब्त किया गया। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीआरआई ने सोने की तस्करी के मामले में शहर के प्रमुख ज्वेलरी मार्केट में बड़ी कार्रवाई की। डीआरआई की टीमों ने झवेरी बाजार, मुंबादेवी और वसोर्वा इलाके में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान सोने की तस्करी के रैकेट से कथित रूप से जुड़े पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

वसई भायंदर रोरो सर्विस रोड, पुरातत्व विभाग ने यातायात के कारण ऐतिहासिक वसई किले को खतरे की की है शिकायत...

वसई: वसई भायंदर रोरो सेवा को जहां कड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है, वहीं अब पुरातत्व विभाग ने रोरो रोड पर आपत्ति जताई है। चूंकि इस रोरो सेवा के घाट तक जाने वाली सड़क वसई किले से होकर गुजरती है, इसलिए वसई किले में वाहनों का यातायात काफी बढ़ गया है। इससे किले की ऐतिहासिक विरासत नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए पुरातत्व विभाग ने आपत्ति जताई है और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को लिखित पत्र दिया है.

हाल ही में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा वसई भयंदर रोरो सेवा

शुरू की गई है। चूंकि वसई से भयंदर केवल 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है, इसलिए इस रोरो सेवा को भारी प्रतिक्रिया मिल रही है। इस रोरो के घाट का रास्ता ऐतिहासिक वसई किले से होकर गुजरता है। वसई किला एक ऐतिहासिक स्मारक है और किला पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। रोरो सेवा की शुरूआत के बाद से वसई किले की मुख्य सड़क पर वाहनों का यातायात काफी बढ़ गया है। अब बड़ी संख्या में वाहन किले में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए पुरातत्व विभाग ने इस रोरो सर्विस रोड पर आपत्ति जताई है। इस बढ़ते वाहनों के आवागमन के कारण किला क्षेत्र में जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है.

हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रोरो सर्विस रोड से किले की पवित्रता भंग नहीं होगी. मूल रूप से, रोरो की ओर जाने वाली सड़क किले के बाईं ओर बाहरी क्षेत्र से होकर जाती है। इसमें भारी वाहन भी नहीं हैं. इसलिए स्थानीय नागरिक दिलीप राउत ने कहा कि किले की वास्तुकला को कोई खतरा नहीं है. मुख्य किला दाहिनी ओर है और सुरक्षित रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता नितिन म्हात्रे ने पूछा है कि जब यह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था तो पुरातत्व विभाग ने पहले आपत्ति क्यों नहीं जताई। वसई किला मूल रूप से उपेक्षित था।

मणिपुर के थौबल में भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी का अपहरण, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां

मणिपुर : मणिपुर के थौबल जिले में भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ) का शुक्रवार को असामाजिक तत्वों ने उनके घर से अपहरण कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जेसीओ की पहचान चरंगपत ममांग लेईकाई निवासी कोंसम खेड़ा सिंह के रूप में हुई है। कोंसम खेड़ा सिंह शुक्रवार को छुट्टी पर थे। कुछ लोग सुबह नौ बजे उनके घर में घुस गए और उन्हें एक वाहन में ले गए। अधिकारियों ने बताया कि अपहरण क्यों किया गया है, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। लेकिन पहली नजर में यह मामला जबरन वसूली का लग रहा है। सेना के अधिकारी के परिजनों पहले इस तरह की धमकियां मिल चुकीं थीं।

सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू किया तलाशी अभियान

सूचना मिलने पर सभी सुरक्षा एजेंसियों ने जेसीओ को बचाने के लिए साझा तलाशी अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-102 पर चलने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। अपहरण के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मणिपुर में संघर्ष शुरू होने के बाद से यह चौथी घटना है, जब छुट्टी या ड्यूटी पर तैनात सैनिकों या उनके रिश्तेदारों को असामाजित तत्वों ने निशाना बनाया है।

पिछले साल भी सेना के जवान का हुआ था अपहरण

पिछले साल सितंबर में असम रेजिमेंट के एक पूर्व सैनिक सर्तो थांगथांग कोम का घाटी में एक सशस्त्र समूह ने अपहरण किया था और उनकी हत्या कर दी थी। वह मणिपर के लीमाखोंग में रक्षा सेवा कोर (डीएससी) में तैनात थे। दो महीने बाद एक हथियारबंद समूह ने चार लोगों का उस समय अपहरण कर लिया था, जब वे वाहन से पहाड़ी जिले चुराचांदपुर से लीमाखोंग जा रहे थे। चारों जम्मू-कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के जवान के परिवार के सदस्य थे। पांचवें सदस्य (सैनिक के पिता) घायल हो गए थे और भागने में कामयाब रहे। बाद में सेना इलाज के लिए उन्हें दीमापुर ले गई। बाद में उन्हें असम के गुवाहाटी के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इकबाल सिंह चहल को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश...

सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का मामला

मुंबई : कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को लगातार 240 दिन काम देने पर उसे नियमित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद मनपा आयुक्त इकबाल सिंह पहल द्वारा आदेशों का पालन करने से टालमटोल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मनपा आयुक्त चहल को प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयुक्त को 19 मार्च को कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया है। बता दें कि सफाई कर्मचारियों को उन्हें नियमित करने की सुनवाई पांच मार्च को हुई। संविदा अमिक लगातार 240 दिन पूरे कर लेते हैं, तो भ्रम अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को स्थायी रूप से काम पर रखना अनिवार्य है। मनपा के 2700 कर्मचारी को नियमित करने की लड़ाई वर्ष 2007 से शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया था, जिसमें 2,700 कर्मचारियों को मनपा की नियमित सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया था। मनपा प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर सफाई कर्मचारियों ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में आदेश दिया था कि कौन अधिकारी आदेशों का पालन करने में टालमटोल कर रहा है, उसका नाम देने का निर्देश दिया था। सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने मनपा आयुक्त को ही सीधा आरोपी बनाते हुए मनपा आयुक्त चहल का नाम दिया। सुप्रीम कोर्ट में सफाई कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और संजय सिंघवी ने कर्मचारियों का पक्ष रखा।

पुनर्विकास के लिए फिर सक्रिय हुए ध्वस्त पुरानी इमारतों के मालिक... म्हाडा के आंदोलन से रहवासी प्रभावित?

मुंबई: बोर्ड ने प्लॉट का अधिग्रहण कर लिया. लेकिन संपत्ति पत्रक पर नाम नहीं बदलने का फायदा उठाकर ऐसी पुरानी इमारतों के मालिक अब पुनर्विकास के लिए फिर से सक्रिय हो गए हैं। शहर में ऐसी 20 संपत्तियां हैं और 14 मामलों में एक डेवलपर को नियुक्त किया गया है। छह मामलों में से एक मालिक वर्तमान में संपत्ति पर अपना दावा कर रहा है। लेकिन एक बार भवन का अधिग्रहण हो जाने पर उस पर मालिक का अधिकार समाप्त हो जाता है। हालाँकि, राजनीतिक दबाव का उपयोग करके इस संपादित भवन को पुनर्विकास के लिए प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। इससे निवासियों के आवास संघ द्वारा डेवलपर नियुक्त करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है। यदि म्हाडा ने संपत्ति पत्रक पर नाम बदल दिया होता

तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। म्हाडा की सुस्ती का खामियाजा शहरवासियों को बेवजह भुगतना पड़ रहा है, संबंधित लोगों की शिकायत है।

शहर में पुरानी और खतरनाक इमारतों का अधिग्रहण म्हाडा अधिनियम 41(1) के अनुसार बिल्डिंग रिपेयर बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) का एक हिस्सा है। ऐसी इमारतों का अधिग्रहण करने के बाद, निवासियों को पारगमन शिविरों में वैकल्पिक आवास दिया जाता है। ऐसी इमारतों में दो-तीन पीढ़ियाँ पारगमन शिविरों में सड़ रही हैं और अपने सही घर की प्रतीक्षा कर रही हैं। हाल ही में घोषित नियमों के अनुसार, लोअर परल में एक चाली के निवासियों की सहकारी आवास समिति ने एक डेवलपर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की। निवासियों ने म्हाडा के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयसवाल और मुंबई बिल्डिंग एंड रिपेयर बोर्ड के मुख्य अधिकारी मिलिंद सुंदरकर से भी शिकायत की है। बिल्डिंग मालिक राजनीतिक दबाव लाकर पुलिस के जरिए निवासियों को धमका रहा है। निवासियों का कहना है कि पुनर्विकास को लेकर बैठक की अनुमति नहीं है. यदि म्हाडा संपादित भवन के एक मामले में अनुमति दे भी देती है, तो आशंका है कि अन्य भवन मालिक भी आगे आ जायेंगे.

मराठा आरक्षण के खिलाफ जनहित याचिका...

बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब

महाराष्ट्र : बंबई हाई कोर्ट ने मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने राज्य को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. पीठ ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम 2024 के लाभार्थियों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों को भी अनुमति दी. महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है. पिछले हफ्ते, अधिवक्ता जयश्री पाटिल और अन्य ने राज्य सरकार के कदम के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार और विपक्ष ने 'घटिया राजनीति' के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है .

महाराष्ट्र गवर्नर को आदित्य ठाकरे ने लिखा पत्र, की ये बड़ी मांग...

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस को पत्र लिखा है. आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को ये पत्र गोखले ब्रिज निर्माण के मुद्दे को लेकर लिखा है. उन्होंने राज्यपाल को लिखे अपने इस पत्र में लिखा ''गोखले ब्रिज के मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की उम्मीद है और इसलिए नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और रेलवे के अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए. '' उल्लेखनीय है कि गोखले ब्रिज मोटर चालकों के लिए बहुत समय बचाता है, लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान यह ब्रिज जर्जर हो गया और यातायात के लिए बंद कर दिया गया. ब्रिज के पुनर्विकास के बाद एक लेन को यातायात के लिए खोल दिया गया. यह सच है कि बीएमसी ने 200 करोड़ की लागत से नया ब्रिज बनाया है, लेकिन इसमें भी गड़बड़ी है. अंधेरी में बहुप्रतीक्षित गोखले ब्रिज के एक चरण का कुछ दिन पहले उद्घाटन किया गया था.

हाई कोर्ट ने आरे मिल्क कॉलोनी में सड़कों के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया

मुंबई : यह देखते हुए कि उपनगरीय गोरेगांव में आरे मिल्क कॉलोनी की आंतरिक सड़कें खराब स्थिति में हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर मरम्मत, रखरखाव या निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी लेने का निर्देश दिया है।एचसी द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर, अदालत ने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र में उचित आंतरिक सड़कों के व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित दिशानिदेर्शों के अनुसार प्रस्तावों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने को कहा है। वन्य जीवन और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय'' ।मुख्य न्यायाधीश

डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ आरे में रॉयल पाम्स के निवासी बिनोद अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंतरिक सड़कों को रखरखाव के लिए बीएमसी को सौंपने की मांग की गई थी।एचसी ने पिछले साल 2 अगस्त को आरे में 45 किमी की गड्ढे वाली आंतरिक सड़कों का सर्वेक्षण करने और इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए एक रोडमैप का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया था ।जबकि 8.22 किमी की दूरी को 10 दिनों के भीतर यातायात के लिए बंद किया जाना चाहिए, शेष नेटवर्क के लिए एचसी ने राज्य के कृषि, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभागों को आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद तुरंत मरम्मत/पुनर्निर्माण/रखरखाव करने का निर्देश दिया है। दिसंबर 2016 में पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा सरकारी परिपत्रों और अधिसूचना के तहत।

देरी कोस्टल रोड का वर्ली-दक्षिण मुंबई कैरिजवे सोमवार को खोला जाएगा

मुंबई: मुंबई कोस्टल रोड के पहले चरण का दक्षिण-पूर्वी हिस्सा - वर्ली और मरीन ड्राइव के बीच, जिसमें समुद्र के नीचे की सुरंग भी शामिल है - आखिरकार 11 मार्च को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, बीएमसी आयुक्त आईएस चहल ने गुरुवार को कहा। उन्होंने कहा कि यह मोटर चालकों के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी को 19 फरवरी को इस कैरिजवे का उद्घाटन करना था, लेकिन उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था।

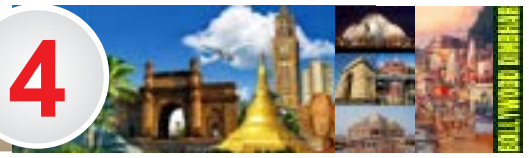

भाभी की हत्या के जुर्म में देवर को उम्रकैद...
वसई सेशन कोर्ट का फैसला

वसई : वसई सत्र न्यायालय ने घर के मालिकाना हक के विवाद में सखक्या भाभी की हत्या करने के जुर्म में देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 2018 में विरार में हुई थी. पुलिस की ओर से पेश किए गए पुख्ता सबूत और गवाहों की गवाही को अहम मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया. शशिकांत गुंडाले उर्फ कांबले (36) अपनी पत्नी आरती (32) के साथ विरार पूर्व के अंबेडकर नगर में अन्ना पाड़ा में रहते थे। वह घर उनकी मां लक्ष्मी के नाम पर था. मकान के मालिकाना हक को लेकर शशिकांत और उनके भाई श्रीकांत गुंडाले के बीच विवाद चल रहा था। मां लक्ष्मी की मौत के बाद श्रीकांत ने आपसी मकान अपने नाम कर लिया था और उसे बेचने की कोशिश कर रहा था. लेकिन शशिकांत और उसकी पत्नी आरती उसका विरोध करते थे। इसी के चलते 11 जून 2018 को श्रीकांत गुंडाले ने अपनी भाभी आरती कांबले की चाकू से हत्या कर दी. आरती खून से लथपथ होकर जान बचाने के लिए भागी और वहीं गिर पड़ी। इस हत्याकांड में विरार पुलिस ने श्रीकांत को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ वसई सत्र न्यायालय में हत्या का मामला लंबित था। विरार पुलिस स्टेशन के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक घनश्याम अधव की टीम ने गहन जांच की और पुख्ता सबूत जुटाए. ये सबूत कोर्ट में पेश किए गए. वसई सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर.डी. देशपांडे ने इस मामले में श्रीकांत कांबले को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास और रुपये के जुमार्ने की सजा सुनाई। श्रीकांत द्वारा की गई हत्या पूर्वनियोजित थी। पहले भी उसने अपने भाई और भाभी को जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसी शिकायत विरार पुलिस स्टेशन में थी. उसने नगर पालिका से फर्जी दस्तावेज बनवाकर मकान के नाम पर रजिस्ट्री करा ली थी। पुलिस ने ये सभी सबूत जुटाए. इसके अलावा 10 गवाह पेश किये गये. इस वजह से कोर्ट में सरकारी वकीलों का पक्ष मजबूत था. हमने मामले की गहन जांच करते समय वस्तुनिष्ठ साक्ष्य पर जोर दिया है।' अधाव ने कहा, इससे आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित हो सका और मृत महिला के परिवार को न्याय मिल सका। वह वर्तमान में कंकावली में सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। यह मार्गदर्शन विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय पवार ने दिया.

ठाणे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस यात्रा...
महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की छूट

ठाणे: भले ही मनपा परिवहन पहल ने मनपा प्रशासन से 427 करोड़ रुपये की सब्सिडी की मांग की है, लेकिन हकीकत में मनपा प्रशासन ने इस साल के बजट में आधी से भी कम यानी दो सौ करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की है. इस बजट में नगर पालिका ने 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त किराए और महिला यात्रियों के लिए 50 प्रतिशत छूट की घोषणा करके यह स्पष्ट कर दिया है कि बसों के बाईं ओर की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।

ठाणे नगर परिवहन निगम के बेड़े में कुल 364 बसें हैं। इनमें पहल की अपनी 124 बसें हैं। तो शेष 220 बसें जीजीसी आधार पर ठेकेदारों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। कुल 364 बसों में से 300 कोच वास्तव में यात्री सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। पिछले कुछ वर्षों से ठाणे शहर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान में शहर की आबादी 20 से 25 लाख हो गयी है. हालांकि, यात्रियों की संख्या की तुलना में बसों की संख्या अपर्याप्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ठाणे नगर निगम और परिवहन प्रशासन ने बसों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है और साथ ही यात्रियों को अच्छी सुविधा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है.

टीएमटी बसें जीसीसी आधार पर चलाई जाती हैं। इसमें ठेकेदार को प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता है. लेकिन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट विभाग की तरह यहां ठेकेदार द्वारा दी गई बस सुविधा के आधार पर भुगतान करने की सोच रही है। इसमें बसें साफ-सुथरी हैं या नहीं, यात्रियों को समय पर उपलब्ध हैं या नहीं, बसें साफ-सुथरी हैं या नहीं और यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं या नहीं, इसे ध्यान में रखकर भुगतान किया जाएगा।

कल्याण डोंबिवली नगर पालिका में 42 बालवाड़ीको आपूर्ति किए गए खिलौने बहुत खराब गुणवत्ता के हैं - शिक्षक

कल्याण: बालवाड़ीशिक्षकों ने शिकायत की है कि कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के तहत बालवाड़ी स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए खिलौने बहुत खराब गुणवत्ता के हैं। कोई भी शिक्षक इस डर से शिकायत करने या खुलकर बोलने को तैयार नहीं है कि खुलेआम शिकायत करने पर नगर पालिका कार्रवाई करेगी। कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के अंतर्गत कुल 42 बालवाड़ीहैं। इन बालवाड़ीमें क्षेत्र के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इन बच्चों के मनोरंजन के लिए, नगर पालिका का महिला एवं बाल कल्याण विभाग बालवाड़ीको स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए छोटी ट्राइसाइकिल, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के पक्षी, स्लाइड, प्लास्टिक की वस्तुओं के खेल जैसे खिलौने प्रदान करता है।

पिछले दो महीनों के दौरान, नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र के तहत कल्याण, डोंबिवली में बालवाड़ीको महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा खिलौनों की आपूर्ति की गई है। नाम न छापने की शर्त पर बालवाड़ीशिक्षकों ने शिकायत की कि अधिकांश खिलौने खराब गुणवत्ता के थे और भंगुर प्लास्टिक से बने थे। आयुक्त डॉ. इंदुरानी जाखड़ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और बालवाड़ीके बच्चों के माता-पिता और बालवाड़ी शिक्षक इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. बच्चे बिना ज्यादा टकराव के खिलौनों से खेलते हैं। तीन पहियों वाली साइकिल पर बैठने के बाद, उसे बालवाड़ी कक्ष के चारों ओर घुमाया जाता है। इस साइकिल पर बैठने वाले बच्चों का वजन नियंत्रित रहता है। हालाँकि, नए खरीदे गए खिलौने टूट गए हैं। प्लास्टिक के पक्षियों के खिलौनों की चोंच, पंख टूट जाते हैं। बालवाड़ीके शिक्षकों ने शिकायत की है कि साइकिल के पहिये निकल गये हैं.

नौकरी घोटाले में मध्य रेलवे का अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई : सीबीआई ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 23 से अधिक लोगों को कथित तौर पर ठगने के आरोप में मुंबई में तैनात मध्य रेलवे के मुख्य डिपो सामग्री अधीक्षक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने राजेश रमेश नायक को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि आरोप है कि नायक मध्य रेलवे में नौकरी दिलाने का वादा करता था और उसने मध्य रेलवे के डीपीओ, मुंबई के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र, मेडिकल जांच के लिए पत्र और प्रशिक्षण के लिए पत्र जारी किए थे। एक बयान।

अधिकारियों ने कहा कि बदले में, उसने कथित तौर पर ऐसे उम्मीदवारों से भारी अनुचित लाभ प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि नायक ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर दो भाइयों से कथित तौर पर 10.57 लाख रुपये से अधिक लिए थे। अधिकारियों ने बताया कि उनकी कथित धोखाधड़ी तब सामने आई जब उनके पिता ने शिकायत लेकर सीबीआई से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान, सीबीआई ने विभिन्न दस्तावेज जब्त किए, जिनसे पता चला कि 23 से अधिक लोग कथित तौर पर नायक की चाल का शिकार हुए थे।

दादर ईस्ट मोनोरेल स्टेशन का नाम बदलकर विट्ठल मंदिर स्टेशन करने की मांग आखिरकार मान ली गई...

मुंबई: स्थानीय लोग पिछले कई वर्षों से चेंबूर से संत गाडगे महाराज चौक मोनोरेल मार्ग पर दादर पूर्व मोनोरेल स्टेशन का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को आखिरकार सात से आठ साल बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने स्वीकार कर लिया है। स्थानीय निवासियों की मांग के अनुसार दादर ईस्ट मोनोरेल स्टेशन का नाम बदलकर विट्ठल मंदिर मोनोरेल स्टेशन कर दिया गया है। एमएमआरडीए ने चेंबूर से संत गाडगे महाराज चौक तक 20 किमी लंबी मोनोरेल लाइन का निर्माण किया है। चेंबूर से वडाला तक इस मार्ग का 8.93 किमी लंबा पहला चरण 4 फरवरी 2014 को चालू किया गया था, जबकि वडाला से संत गाडगे महाराज चौक तक 11.20 किमी लंबा चरण फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। यह मोनोरेल देश का पहला और एकमात्र मोनोरेल रूट है। यह रूट घाटे में है और एमएमआरडीए मोनोरेल को घाटे से बाहर निकालने के प्रयास कर रहा है। इस मोनोरेल मार्ग पर 17 स्टेशन हैं। इन्हीं स्टेशनों में से एक है दादर ईस्ट स्टेशन.

दादर ईस्ट मोनोरेल स्टेशन वडाला में श्री विट्ठल मंदिर के बगल में स्थित है जिसे पंढरपुर के नाम से जाना जाता है। एमएमआरडीए ने इस स्टेशन का नाम दादर ईस्ट मोनोरेल स्टेशन रखा है। स्थानीय निवासियों और जन प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए इस स्टेशन का नाम विट्ठल मंदिर मोनोरेल स्टेशन रखने की मांग की. इस मांग को लेकर भूख हड़ताल और आंदोलन किया गया. लेकिन इस मांग को एमएमआरडीए ने खारिज कर दिया. इसके बाद भी स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि इस मांग पर अड़े रहे. आखिरकार एमएमआरडीए को यह मांग माननी पड़ी. मंगलवार को प्राधिकरण की बैठक में दादर ईस्ट मोनोरेल स्टेशन का नाम बदलकर विट्ठल मंदिर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। तो अब दादर ईस्ट मोनोरेल स्टेशन को विट्ठल मंदिर स्टेशन के नाम से जाना जाएगा।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com